

## RTI REQUEST DETAILS

<b>Registration No. :</b>	PGCIL/R/T/21/00099	<b>Date of Receipt :</b>	06/10/2021
<b>Transferred From :</b>	Ministry of Power on 06/10/2021 With Reference Number : POWER/R/T/21/00184		
<b>Remarks :</b>	In so far as PG Desk, MoP is concerned, it is stated that Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL), a transmission company is functioning under administrative control of Ministry of Power (PG Desk). Hence, the said RTI Application is transferred to PGCIL for furnishing available information to the applicant directly vide this Ministry letter dated 06.10.2021.		
<b>Type of Receipt :</b>	Electronically Transferred from Other Public Authority	<b>Language of Request :</b>	Hindi
<b>Name :</b>	चंदन कुमार	<b>Gender :</b>	Male
<b>Address :</b>	ग्राम शाह सलेमपुर, निकट राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पोस्ट बाढ़, Pin:803213		
<b>State :</b>	Bihar	<b>Country :</b>	India
<b>Phone No. :</b>	+91-9608779909	<b>Mobile No. :</b>	+91-9608779909
<b>Email :</b>	abchandand_kr@yahoo.co.in		
<b>Status(Rural/Urban) :</b>	Rural	<b>Education Status :</b>	
<b>Letter No. :</b>	Details not provided	<b>Letter Date :</b>	Details not provided
<b>Is Requester Below Poverty Line ? :</b>	No	<b>Citizenship Status :</b>	Indian
<b>Amount Paid :</b>	0 (RTI fee is received by Ministry of Labour & Employment (original recipient) )	<b>Mode of Payment :</b>	Payment Gateway
<b>Does it concern the life or Liberty of a Person ? :</b>	No(Normal)	<b>Request Pertains to :</b>	
<b>Information Sought :</b>	<p>मैं भारत सरकार के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक विद्युत पारेषण कंपनी में कामगार या वर्कमैन के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरे कार्य की प्रकृति पाली में है। पाली तीन समयावधि में विभाजित है। जो कि, 8:00 घंटे की है। पाली निम्न समयानुसार है।</p> <p>ए पाली : समय 06:00 बजे से 14:00 बजे तक।</p> <p>बी पाली : समय 14:00 बजे से 22:00 बजे तक।</p> <p>सी पाली : समय 22:00 बजे से 06:00 बजे तक।</p> <p>प्रति दिन अथवा कंपनी के आवश्यकता अनुरूप मेरी कार्य की पाली बदलती रहती है। कई बार दो पाली के बीच आराम करने के लिए मुझे सिर्फ 8:00 आठ घंटे ही मिल पाते हैं। इसी समय में आवागमन इत्यादि भी शामिल होने से आराम के लिए कम समय बचता है जिसका मेरे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।</p> <p>मुझे यह जानकारी चाहिए कि,</p> <p>1. अब तक के नियम/विनियम/अधिनियम/गाइडलाइन के अनुसार दो कार्यदिवस के दौरान दो पाली के कार्यावधि(वर्किंग आवर) के बीच कितने समय आराम (डेली रेस्ट टाइम) करने के लिए</p>		

अनिवार्य तौर पर मिलना चाहिए।

जैसे: दिनांक 29.09.2021 को बी पाली(समय 14:00बजे से 22:00बजे की ड्यूटी (वर्किंग आवर) के कितने घंटे आराम(डेली रेस्ट टाइम) के बाद दिनांक:30.09.2021 को नियोक्ता/प्रबंधन मुझे किसी पाली ए/बी/सी में ड्यूटी करवा सकता है।

2. नियोक्ता/प्रबंधन उपरोक्त डेली रेस्ट टाइम को किन परिस्थितियों में कम/शून्य/निरस्त कर सकता है।

3. नियम/विनियम/अधिनियम/गाइडलाइन/पत्र की प्रति उपलब्ध करवायें।

मैं भारत सरकार के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक विद्युत पारेषण कंपनी में कामगार या वर्कमैन के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरे कार्य की प्रकृति पाली में है। पाली तीन समयावधि में विभाजित है। जो कि, 8:00 घंटे की है।पाली निम्न समयानुसार है।

ए पाली :समय 06:00 बजे से 14:00 बजे तक।

बी पाली : समय 14:00 बजे से 22:00 बजे तक।

सी पाली : समय 22:00 बजे से 06:00 बजे तक।

प्रति दिन अथवा कंपनी के आवश्यकता अनुरूप मेरी कार्य की पाली बदलती रहती है। कई बार दो पाली के बीच आराम करने के लिए मुझे सिर्फ 8:00 आठ घंटे ही मिल पाते हैं। इसी समय में आवागमन इत्यादि भी शामिल होने से आराम के लिए कम समय बचता है जिसका मेरे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

**Original RTI Text :**

मुझे यह जानकारी चाहिए कि,

1. अब तक के नियम/विनियम/अधिनियम/गाइडलाइन के अनुसार दो कार्यदिवस के दौरान दो पाली के कार्यावधि(वर्किंग आवर) के बीच कितने समय आराम (डेली रेस्ट टाइम) करने के लिए अनिवार्य तौर पर मिलना चाहिए।

जैसे: दिनांक 29.09.2021 को बी पाली(समय 14:00बजे से 22:00बजे की ड्यूटी (वर्किंग आवर) के कितने घंटे आराम(डेली रेस्ट टाइम) के बाद दिनांक:30.09.2021 को नियोक्ता/प्रबंधन मुझे किसी पाली ए/बी/सी में ड्यूटी करवा सकता है।

2. नियोक्ता/प्रबंधन उपरोक्त डेली रेस्ट टाइम को किन परिस्थितियों में कम/शून्य/निरस्त कर सकता है।

3. नियम/विनियम/अधिनियम/गाइडलाइन/पत्र की प्रति उपलब्ध करवायें।

Print

Save

Close